आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः F 24(15) लेखा/SPPP/सूचना/CCE/19/61 दिनांक 8.1.2020

श्रीमान प्राचार्य महोदय,
राजकीय महाविद्यालय
....

विषय :– एजेन्डा नोट, वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 10.01.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 10.01.2020 को होने वाली वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग का एजेन्डा नोट निम्न प्रकार से है :–

बजट :– बजट से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में हुयी प्रगति की समीक्षा की जावेगी।

1. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आयुक्तालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में ई–मेल के माध्यम से बजट की मांग प्रेषित करना।
2. आवंटित बजट के उपयोग नहीं करने पर आवंटित राशि वापस withdraw कर ली जावेगी।
3. कार्यालय व्यय की जो राशि महाविद्यालय विकास निधि या छात्रनिधि से की गयी है, उसको कार्यालय व्यय मद से आहरित कर सम्बन्धित निधि को पुनर्भरण करना।
4. महाविद्यालय की सम्बन्धित विश्वविद्यालय से स्थाई सम्बद्धता के लिये निर्धारित प्रारूप में बजट की मांग
5. उक्त के सम्बन्ध में निर्देश एवं प्रपत्र कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट के Finance Guide पर उपलब्ध है।

ऑडिट

1. महालेखाकार के प्रतिवेदन, निदेशक निरीक्षण विभाग के आंतरिक जांच प्रतिवेदन व भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की अनुपालना तथ्यों की पुष्टि के लिये आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित प्रति के साथ महालेखाकार/निदेशक निरीक्षण विभाग को 29.11.2019 तक प्रेषित की जाकर समस्त आक्षेप निरस्त करवाये जाने थे। अद्यतन सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जानी थी।
2. महालेखाकार के प्रतिवेदन, निदेशक निरीक्षण विभाग के आंतरिक जांच प्रतिवेदन व भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के पैराज के निस्तारण की सूचना महाविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त करने के लिये दिनांक 07.11.2019 को लिखा जा चुका है। आयुक्तालय द्वारा निदेशक निरीक्षण विभाग के आंतरिक जांच व भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की सूचना ई–मेल के माध्यम से सम्बन्धित महाविद्यालयों को प्रेषित की जा चुकी है।
3. महालेखाकार के प्रतिवेदन, निदेशक निरीक्षण विभाग के आंतरिक जांच प्रतिवेदन व भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना महालेखाकार/निदेशक निरीक्षण विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के 30 दिवस की अवधि में प्रेषित की जानी है।
4. चोरी, हानि, गबन व विशेष जांच प्रतिवेदनों की अद्यतन सूचना निर्धारित प्रारूप में ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जानी है।
5. नकारा, अनुपयोगी व सरप्लस सामान की अद्यतन सूचना निर्धारित प्रारूप में ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक वर्ष की 5 जुलाई तक प्रेषित की जानी है। इस वर्ष की सूचना 5 दिसम्बर तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. सभी महाविद्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों को प्रतिवर्ष दिनांक 05 अप्रैल तक अपने भण्डारों का भौतिक सत्यापन GF & AR भाग 2 के नियम 12 (1) व (2) के अनुसार कर दिनांक 05 अप्रैल तक प्रतिवर्ष सूचना इस कार्यालय का निर्धारित प्रारूप में ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
7. उक्त के सम्बन्ध में निर्देश एवं प्रपत्र कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट के Finance Guide पर उपलब्ध है।

सामग्री/सेवाओं का उपापन (Procurement) :– निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में महाविद्यालय स्तर पर हुई प्रगति की समीक्षा व समस्याओं का निराकरण किया जाना है :–

1. महाविद्यालय के लिये आवश्यक सामग्री/सेवाओं की उपापन की कार्यवाही शीघ्र किये जाने के लिये महाविद्यालयों की सुविधा हेतु बिड डॉक्यूमेंट के प्रारूप कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट के Finance Guide पर उपलब्ध करवाये गये हैं। उक्त प्रारूप में अपनी आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर उपापन की कार्यवाही शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये थे।
2. उक्त के सम्बन्ध में निर्देश एवं प्रपत्र कॉलेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट के Finance Guide पर उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति :–

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में आवेदन 15.01.2020 तक होने हैं उक्त के सम्बन्ध में नये महाविद्यालय अपने महाविद्यालय की सम्बद्धता सम्बन्धित विश्वविद्यालय से करवाकर यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थी छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

महाविद्यालय विकास निधि व छात्रनिधि :–

1. महाविद्यालय के विकास निधि व छात्रनिधि से कार्यालय व्यय तथा अन्य मदों में व्यय की गयी राशि को पुनः उक्त निधियों में पुनर्भरण किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे। स्वीकृति का प्रारूप भी उक्त के साथ संलग्न किया गया था।
2. महाविद्यालय के विकास निधि में भामाशाहों से राशि प्राप्त करने के लिये निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।
   - i. महाविद्यालय की विकास निधि को सम्बन्धित विभाग (रजिस्ट्रार सोसाइटी या ट्रस्ट) में पंजीकृत करवाना।
   - ii. महाविद्यालय की विकास निधि का PAN No. लेना। (ई–मित्र के माध्यम से लिये जा सकते हैं।)
   - iii. महाविद्यालय की विकास निधि के विगत तीन वर्ष के लेखे C.A. से तैयार करवाना तथा उनकी C.A. से ऑडिट करवाना।
   - iv. इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G सम्बन्धित छूट के लिये सम्बन्धित रैन्ज के आयुक्त, छूट (exemption) के लिये C.A. की मदद से ऑनलाईन आवेदन करना।

     उक्त के सम्बन्ध में प्रगति की समीक्षा की जावेगी।

कृपया उक्त ऐजेन्डा नोट अनुसार पूर्ण तैयारी कर वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग में उपस्थित होना सुनिश्चित करावें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः F24(15)लेखा/SPPP/प्रचना/CCE/19/62-63 दिनांक 8.1.2020

प्रतिलिपि :–

01. प्रभारी अधिकारियों राजकीय महाविद्यालय(समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि वे पूर्ण तैयारी कर निर्धारित समय पर वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग रूम में होना सुनिश्चित करावें।
02. संयुक्त निदेशक (आई.टी. सेल) को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की सम्बन्धित को ई–मेल व वेबसाइट के माध्यम से सम्बन्धित को सुनिश्चित करावें।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर